न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 05 सन 2020

अनवान :–

1. आचुकी पत्नी लालूसिह जाति राजपुत साकिन कानसर तसहील नोहर

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 18/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 815/752 के खसरा न0 1374/2 की 0.6070हैक्व भूमि बतौर खातेदार दर्ज है

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय उच्चारण के कारण चुनी पत्नि लालुसिह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही नाम आचूकी पत्नि लालुसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से प्रार्थीया को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए प्राप्त नही हो रही है जिससे सायला के खातेदारी अधिकारी का हनन होता है सायला राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 815/752 के खसरा न0 1374/2 की 0.6070हैक्व प्रार्थी का नाम चुनी के स्थान आचुकी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 815/752 के खसरा न0 1374/2 की 0.6070हैक्व भूमि बतौर खातेदार दर्ज है

सायला का नाम राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय उच्चारण के कारण चुनी पत्नि लालुसिह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही नाम आचूकी पत्नि लालुसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से प्रार्थीया को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए प्राप्त नही हो रही है जिससे सायला के खातेदारी अधिकारी का हनन होता है सायला राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 815/752 के खसरा न0 1374/2 की 0.6070हैक्ट प्रार्थी का नाम चुनी के स्थान आचुकी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किय रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 815/752 के खसरा न0 1374/2 की 0.6070हैक्ट दर्ज है

उक्त वाद भूमि में सायला का नाम चुनी पत्नि लालुसिह दर्ज है सायला का कथन है कि उसका सही नाम चुनी पत्नि लालुसिह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

सायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 में सायला का नाम आचुकी पत्नि लालुसिह दर्ज है जो हस्तलिखित जमाबन्दी है वर्तमान में कम्पयूटरित जमाबन्दी है अर्थात जमाबन्दी बनाते समय सहवन से सायला का नाम चुनी पत्नि लालुसिह दर्ज हुआ है जो संशोधन योग्य है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 815/752 के खसरा न0 1374/2 की 0.6070हैक्ट में सायला का नाम चुनी पत्नि लालुसिह के स्थान पर आचुकी पत्नि लालुसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/9/17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/136 LRH|5 दिनांक :- 18 09 2020

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 05/2020 अनवानी आचुकी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :- अनवान :-

1. आचुकी पत्नि लालुसिह जाति राजूपत साकिन कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 05/2020 अनवानी आचुकी बनाम सरकार में दिनांक 18/09/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 815/752 के खसरा न0 1374/2 की 0.6070हैक्ट में सायला का नाम चुनी पत्नि लालुसिह के स्थान पर आचुकी पत्नि लालुसिह संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner